17-10-2025

वकील पक्षकारान उपस्थित। चूंकि मूल
निगरानी आवेदन आज निर्णित होकर
खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में यह
स्थगन प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने
से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य
हो जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध
अप्रार्थीगण खारिज किया जाता है। निर्णय
सुनाया गया। पत्रावली इसी मुताबिक
निर्णित होकर सूचना से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)